रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 23, 2018/कार्तिक 1, 1940
No. 759] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2018/KARTIKA 1, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1053(अ).—दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप–धाराओं (1) एवं (2) (2016 की 49) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित मसौदा नियमावली, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए, प्रस्तावित करती है और एतद्द्वारा यह सूचना प्रदान दी जाती है कि उक्त मसौदा (संशोधन) नियमावली, यह अधिसूचना अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्त के बाद विचार की जाएगी ।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हैं, श्री के0वी0एस0 राव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा सं0 518, 5वां तल, पं0 दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को, संबोधित किए जा सकते हे अथवा kvs.rao13@nic.in ई मेल पर प्रेषित किये जा सकते है ।

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में, प्राप्त हुई आपत्तियों एवं सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

मसौदा नियमावली

1. **लघु, शीर्ष एवं सीमा.–**(1) यह नियम दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं ।

(2) यह नियमावली इनके अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू की जाएगी।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, अध्याय 5 के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय शामिल किया जाएगा, नामतः

"अध्याय 5 (क)

14 (क) (1) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वह प्राधिकारी अधिसूचित करेंगे जिसको बैंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 38 (1) के अनुसार उच्च सहायता आवश्यकता के लिए आवेदन कर सकता है ।

(2) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र रखने वाले केवल बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति उच्च सहायता आवश्यकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे ।

(3) राज्य सरकारें निम्नलिखित को शामिल करते हुए बैंचमार्क दिव्यांगजनों की संख्या के आधार पर जिला अथवा खण्ड स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन करेंगी :–

(क) जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन अथवा चिकित्सा अधीक्षक –अध्यक्ष

(ख) जिला समाज कल्याण अधिकारी –सदस्य

(ग) पांच पुनर्वास विशेषज्ञ (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास अथवा हड्डी विशेषज्ञ, कान–नाक–गला विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक (यदि प्रार्थी 18 वर्ष का है अथवा उससे ज्यादा है) अथवा बाल चिकित्सक (यदि प्रार्थी 18 वर्ष से कम है), मनोचिकित्सक – सदस्य

(घ) ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अथवा वाक् थेरेपिस्ट अथवा नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा फिजियोथैरेपिस्ट (आवश्यकतानुसार) – सदस्य

(ड.) कोई अन्य विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे – सदस्य

(4) उप–नियम (1) में अंकित अधिसूचित प्राधिकारी मूल्यांकन हेतु प्रत्येक मामला उसका/उसकी उच्च सहायता आवश्यकता के लिए निर्धारण बोर्ड को भेजेगा ।

(5) निर्धारण बोर्ड उच्च सहायता आवश्यकता वाले प्रार्थी को मूल्यांकन के लिए आमंत्रित करेगा और यदि आवश्यक हो, तो नैदानिक निर्धारण कर सकता है ।

(6) निर्धारण बोर्ड छह मापदंडों के आधार पर प्रार्थी का मूल्यांकन करेगा और निम्नांकित 100 बिन्दु ग्रेडिड अधिभार के आधार पर अंकों का निर्धारण करेगा:–

मापदंड		अधिभार
(क) शारीरिक दिव्यांगता की गंभीरता (अधिकतम अधिभार – 25)	(क) 40%– 59% (ख) 60% – 79% (ग) 80% – 100%	15 20 25
(ख) मानसिक/विकासात्मक दिव्यांगता की गंभीरता (जो किसी सूचित निर्णय के लिए व्यक्ति को प्रतिबंधित करती है) (अधिकतम अधिभार – 25)	(क) 40%– 59% (ख) 60% – 79% (ग) 80% – 100%	15 20 25
(ग) व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में किस हद तक बाधा आती है (अधिकतम अधिभार 35)	(1) स्नान, मंजन, कंघी करना, कपड़े पहनना । (2) शौचालय स्वच्छता (शौचालय जाना, स्वयं हाथ धोना, बैकअप आदि प्राप्त करना) (3) कार्यात्मक गतिशीलता (कार्य करने की क्षमता, बिस्तर पर लेटना और उठना, कुर्सी पर बैठना और उठना, क्रियाकलापों के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना । (4) अपने हाथ से भोजन करना (खाना बनाना शामिल नहीं है)	10 10 10 05
(घ) संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे यातायात, संभार, गैजेटस के इस्तेमाल में सुरक्षा उपाय सम्बंदित सावधानी बरतना, गुम न होने की क्षमता । (अधिकतम अधिभार – 5)	–	05
(ड.) वातावरण बाधाएं जैसे स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र अथवा पुनर्वास सहायता प्रणाली अथवा स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति तक पहुंच । (अधिकतम अधिभार – 5)	–	05
(च) सामाजिक–आर्थिक स्थिति (अधिकतम अधिभार – 5)	गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे	0 05
योग		100

(7) निर्धारण बोर्ड उप–नियम (6) में अंकित 100 अंकों में से 60 अंक पाने वाले किसी भी बैंचमार्क दिव्यांगजन को अधिक सहायता आवश्यकता के लिए सिफारिश कर सकता है।

(8) निर्धारण बोर्ड अधिसूचित प्राधिकारी को मूल्यांकन के लिए कथित प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोध की तारीख से 90 दिनों की अवधि में अपनी सिफारिश जमा करेगा ।

(9) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे बैंचमार्क दिव्यांगजनों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित योजनाएं विकसित कर सकते हैं ।

(10) उप–नियम (1) में अंकित किए अनुसार अधिसूचित प्राधिकारी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन की योजनाओं/कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, जो भी मामला हो, निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर आवेदनों पर उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए विचार करेंगे।"

[**फा.सं.** 16-16/2017-**डीडी**-III]

डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2018

G.S.R. 1053(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) the Central Government hereby proposes to make the following draft Rules to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft (amendment) rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri K.V.S. Rao, Director, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 518, 5th Floor, Pandit Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at kvs.rao13@nic.in.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and extent.—(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, after Chapter V, the following Chapter shall be inserted, namely,—

"CHAPTER VA

14A (1) The State Governments/UT Administrations shall notify the authority to whom a person with benchmark disability can apply for the high support requirement as per Section 38(1) of the Act.

(2) Only the persons with benchmark disabilities having permanent certificate of disability shall be eligible for applying for high support requirement.

(3) The State Governments shall constitute assessment board at the District level or Division level based on the number of persons with benchmark disabilities comprising of the following:-

(a) District Chief Medical Officer or Civil Surgeon or Medical Superintendent...................................... Chairperson

(b) District Social Welfare Officer……………………Member

(c) Five rehabilitation specialists (Physical Medicine and Rehabilitation or Orthopaedic specialist, ENT specialist, Ophthalmologist, General Physician (if the applicant is 18 years or above) or Pediatrician (if the applicant is less than 18 years), Psychiatrist)…………Members

(d) Occupational therapist or speech therapist or Clinical Psychologist or Physiotherapist (as per requirement)………………Member

(e) Any other expert as the Chairperson feels appropriate……….Member

(4) The notified authority mentioned in sub-rule (1) shall refer every case to the Assessment Board for assessment of his/her high support requirement.

(5) The Assessment Board shall invite the applicant of high support needs for assessment and may, if necessary, seek clinical assessment.

(6) The Assessment Board shall assess the applicant on the basis of the six parameters and assign scores on the basis of the 100 point graded weightage indicated below:—

Parameters		**Weightage**
(a) Severity of physical disability (Max. weightage – 25)	(a) 40% - 59% (b) 60% - 79% (c) 80% - 100%	15 20 25
(b) Severity of mental/developmental disability (which restricts the person to take any informed decision) (Max. weightage – 25)	(a) 40% - 59% (b) 60% - 79% (c) 80% - 100%	15 20 25
(c) The extent to which daily activities in a person is hampered (Max. weightage – 35)	(i) Bathing, Brushing, combing, Dressing	10
	(ii) Toilet hygiene (getting to the toilet, cleaning oneself, getting backup etc)	10
	(iii) Functional mobility (ability to work, get in and out of bed, get in and out of a chair, moving from place to other while performing activities)	10
	(iv) Self-feeding (not including cooking)	5
(d) Cognitive Abilities like ability to take safety measures to use transport, logistics, gadgets, not to get lost (Max. weightage – 5)	-	5
(e) Environmental Barriers like access to health care or support systems for rehabilitation or health needs (Max. weightage – 5)	-	5
(f) Socio-economic status (Max. weightage – 5)	APL BPL	0 5
Total		100

(7) Any person with benchmark disability with a score 60 out of 100 point mentioned in sub-rule (6) may be recommended by the assessment board for high support needs.

(8) The Assessment Board shall submit its recommendations to the notified authority within a period of 90 days from the

date of receiving request for assessment from the said authority.

(9) The State Government/UTs may develop dedicated schemes to provide high support to such persons with benchmark disabilities.

(10) The notified authorities as mentioned in sub-rule (1) shall consider the application for high support requirement on the basis of the recommendations of the assessment board keeping in view the schemes/programmes of the State Government or UT Administration as the case may be."

[F.No. 16-16/2017-DD-III]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.10.24 15:56:30 +05'30'